

# न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

RTPS APPLICATION NO. 0292

(देखे अभिलेख 941 का नियम 26)

21.02.13

तारीख 21/02/13 से 24.04.11 तक

जिला - पटना

अनुमंडल - पटना सिटी

केश का प्रकार: दाखिल खारीज      दाखिल खारीज बाद सं० 14 / 2013-2014      हल्का सं० 03

परीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश प  
की गई  
कारवाई  
वारे में  
टिप्पणी  
तारीख स

102/11

श्री/श्री मती कनक कुमारी जी श्री गोपाल रंजन व श्रीमती रंजना कुमारी

पिता/पति श्री/श्री मती रंजनीश कुमार

ग्राम मोल्हदियार-टोला पो० मोल्हमा थाना मोल्हमा

जिला पटना ने केवाला सं० न225 दिनांक 26/12/12 के

आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है:-

मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकवा(ए.-डि में)	लगान
रनिग्रत्यकु	न	96	134	0-14	1.50

21/02/13

मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक 28/02/13 को उपास्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी  
फतुहां।

अंचलधिकारी  
फतुहां।

2/02/13

8/03/11

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्म० का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है।

हल्का कर्म० ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी विकेता / पूर्वकर्ता / पूर्व विकेता/ पूर्वकर्ता श्री नागेंद्र सिंह पं० स्व० बाबु नारायण सिंह

के नाम से कायम है। प्रश्नगत जमीन गै०म०मा/आम.भू-दान,भू-हदवंदी एवं सैरात से मुक्त है। है। आवेदक/आवेदिका का दखल कब्जा है। तदनुसार जमाबंदी रैयत को खास सूचना एवं मांडल पर आम सूचना निर्गत कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 16/4/11 को उपास्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी  
फतुहां।

अंचलधिकारी  
फतुहां।

P.T.O.

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहा

आदेश

हल्का सं०... ०३... दाखिल खारिज बाद सं०... १५... / 2013-2014

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

16/04/13  
24/04/13  
अभिलेख उपस्थापित। महाल पर निर्गत जमाबन्दी रैयत (विकेता/पावरदाता/पूर्व विकेता) को निर्गत खास नोटिस का तामिला प्राप्त नहीं है चूंकि नोटिस तामिला कराने गए अनुसेवी/चौकिदार ने प्रतिवेदित कायां है कि नोटिस वनाम जमाबन्दी रैयत से मुलाकात नहीं हुआ परंतु महाल पर निर्गत आम सूचना का तामिला प्राप्त है। आज तक किसी का आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन वर्तमान में दखल कब्जा व अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर लगान वसूली के मद्देनजर दाखिल खारिज की जाती है तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलाधिकारी  
फतुहा।

अंचलधिकारी  
फतुहा।